बांकलाल v/s मघाराम

19—10—23	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली पर स्थगन प्रार्थना पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 25—10—23 को पेश हो।
25—10—23	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21—07—2023 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त दिनांक के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने के पश्चात् पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 4—10—23 नियत की गई। परन्तु अधीनस्थ न्यायलय द्वारा उक्त दिनांक से पूर्व ही अर्थात दिनांक 06—09—23 को ही पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व जाते हुए रास्ता खोलने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, नोखा के प्रार्थना पत्र पर रास्ता खोलने के आदेश प्रदान किये गये है, जबकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट आदि प्राप्त नहीं की गई है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा पूर्व में चालू रास्ते को कभी भी बन्द नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट् को कारित होगी। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06—09—23 की पालना ताफैसला अपील स्थगित फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2022 पार्ट II पेज 1003, आरआरटी 2008 पार्ट II पेज 1221, आरआरटी 2022 पार्ट I पेज 248 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।
	विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि पर चालू रास्ते को बन्द किये जाने की स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पूर्व के रास्ते को खुलवाये जाने की मांग किये जाने पर संबंधित तहसीलदार, द्वारा मौके की फर्द बनाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि अपीलांट् द्वारा पूर्व में कायम रास्ते को बंद किये जाने की स्थिति में ही आदेश जैर अपील पारित करते हुए पूर्व के रास्ते को खुलवाने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपीलांट् किस प्रकार हितबद्ध है, साबित करने में असफल रहे है। प्ररकण में चूंकि पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार प्रार्थना पत्र में होने शेष है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06–09–2023 से जिसके माध्यम से पूर्व से कायम रास्ते को खुलवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–09–2023 को तहसीलदार जोकि भू–धारक होता है के द्वारा जॉच के उपरान्त यह पाये जाने पर अपीलाट् द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में कायम रास्ते को बंद कर दिया गया है, सशर्त आदेश पारित किया गया है कि यदि अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में चल रहे रास्ते को बन्द कर दिया गया है तो उसे अविलम्ब खुलवाते हुए पूर्व की स्थित कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में कायम रास्ते को सशर्त खुलवाने के आदेश प्रदान किये गये है, जबकि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार प्रार्थना पत्र में होना शेष है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए व पक्षकारों को उनकी जोत में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र मय अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर